रिपोर्टबल

समक्ष उच्चतम न्यायालय

अपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

क्रिमिनल अपील न0 549/2023

[विशेष अनुमति याचिका (क्रिमिनल) स0 1658/2020 से उत्पन्न]

ज़ुहरू एवं अन्य .....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

करीम एवं एक अन्य ..... उत्तरवादी(गण)

फैसला

सुर्यकांत, जज

अनुमति दि जाति है।

2. तत्काल अपराधिक अपील, दिनांक 27.01.2022 के एक फैसले से उत्पन्न होता है जिसमें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ (संक्षिप्त में उच्च न्यायालय) ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नूँह द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.07.2018 को रद्ध करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (यहाँ के बाद सीआरपीसी) की धारा 319 के तहत अपीलकर्ताओं को सम्मन (बुलाने) का आदेश जारी किया है।

A. तथ्य

संक्षिप्त में ब्यान किए गए तथ्य यह है कि एफ आई आर स0 270 दिनांक 09.07.2017 टारू पुलिस स्टेशन जिला नूह में भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद आईपीसी) की धारा **304-B, 498-A, 406, 323** और **34** के तहत दर्ज की गई थी, जो कि उत्तरवादी सं0 1– करीम के बयान की बूनियाद पर की गई थी, जिसमें उसने बताया था कि उसकी मृतक बहन (रूकसीना) की शादी 04.12.2016 को आमिर के साथ हुई थी। एक आल्टो कार, 3 लाख नकद, 3 किलोग्राम चाँदी, 30 ग्राम सोना, फर्नीचर एवं अन्य घरेलू सामान कथित रूप से आमिर एवं उसके परिवार के सदस्यों को दिए गए थे। आमिर के परिवार में जो सदस्य हैं, वे इस प्रकार हैं– अखलीमा (माँ) ,ज़ुहरू (पिता) जो अपीलकर्ता सं0 1 हैं, सोनम (बहन) जो अपीलकर्ता स0 2 हैं तथा रिजवान (बहनोई) जो अपीलकर्ता

स0 3 हैं। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि आमिर का परिवार दहेज से असंतुष्ट था और मृतक को लगातार प्रताड़ित करता रहता था। उत्तरवादी सं0 1 एवं इसके परिवार ने आमिर एवं उसके परिवार के साथ मामले को सुलझाने की कोशिश भी की, लेकिन उनके सभी प्रयास असफल रहे। दिनांक 09.07.2017 को टेलीफोन के जरिए उत्तरवादी सं0 1 को सुचित किया गया कि मृतका ने फाँसी लगाकर जान दे दी है।

4. जांच एजेंसी को जांच के दौरान अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली और चालान केवल मृतका के पति एवं सास के खिलाफ दायर किया गया, जो मुकदमें का सामना कर रहे हैं।

5. मुकदमें के दौरान प्रतिवादी न0 1 ने दिनांक 01.03.2018 को पीडब्लू 1 के रूप में कटघरा (गवाही बॉक्स) में आकर अपीलकर्ताओं सहित सभी आरोपि व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को दुहराया। इसके तुरंत बाद प्रतिवादी स0 1 ने सीआरपीसी की धारा 319 के तहत ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर कर के अपीलार्थियों को अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में समन करने की गुज़ारिश की।

6. ट्रायल कोर्ट ने उपर्युक्त आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत जो विशेष अधिकार प्राप्त हैं, उसका उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब रिकॉर्ड पर प्रस्तुत साक्ष्य दृढ़ता से यह इंगित करता हो कि जिनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना है वे संभवित रूप से संलिप्त हो सकते हैं। ट्रायल कोर्ट ने आगे कहा कि प्रतिवादी स0 1 के बयान एवं रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य तथ्यों से यह प्रकट नहीं होता कि जिन व्यक्तियों को समन करने की मॉग की गई थी, उन्होंने कोई अपराध किया है जिसके लिए उनके खिलाफ आरोपी आमिर और अखलिमा के साथ मुकदमा चलाया जा सकता था।

7. पिड़ित प्रतिवादी सं0 1 ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और दिनांक 27.01.2020 के आक्षेपित आदेश के तहत उसकी याचिका को स्वीकार कर लिया गया और अपीलकर्ताओं को मुकदमें का सामना करने के लिए बुलाया गया। उच्च न्यायालय ने पाया कि एफआईआर तथा प्रतिवादी स0 1 की गवाही ने ट्रायल के दौरान यह साफ किया कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आक्षेप एवं उन अभियुक्तों पर लगाए गए आक्षेप बिल्कुल एक हैं, जो पहले से ही मुकदमें का सामना कर रहे हैं। इसीलिए , अन्तर कर पाने योग्य किसी विशेषताओं के अभाव में, आमिर और

अखलिमा के साथ साथ अपीलकर्ताओं के खिलाफ भी मुकदमा चलाया जाना जरूरी था। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि अपीलकर्ताओं को बतौर अतिरिक्त अभियुक्त के सम्मन करने के लिए पर्याप्त आधार थे।

8. उच्च न्यायालय के द्वारा उन्हे सम्मन किये जाने से वे असंतुष्ट हैं, और इसीलिए अपीलकर्तागण, हमारे पास आए हैं।

B. विवाद/तर्क

9. श्री एस. के वर्मा, अपीलकर्ताओं के वकील, ने बहुत जोर देते हुए यह कहा है कि उच्च न्यायालय ने इस बात की सराहना न करके कानून के लिहाज से बड़ी गलती की है कि सीआरपीसी की धारा 319 में निहित शक्तियों का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब साक्ष्य स्पष्ट रूप से उन व्यक्तियों की संभावित भागिदारी को इंगित करता हो, जिन के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने का प्रस्ताव हो। अपीलकर्ताओं के खिलाफ जरा भी साक्ष्य नहीं है जिसकी बुनियाद पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उनकी भागिदारी है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया कि दोहरी जाँच के दौरान अपीलकर्तागण निर्दोष पाए गए थे। इस बात का दूर–दूर तक भी कोई सबूत नहीं है कि अपीलकर्ता मृतक की मृत्यू के कुछ समय पहले उसके प्रति क्रूर थे। आरोप सामान्य और अस्पष्ट प्रकृति के हैं जो अपीलकर्ताओं को किसी विशिष्ट भूमिका के लिए जिमेदार नहीं ठहराते हैं।

10. दूसरी तरफ, श्री दीपकरण दलाल, प्रथम प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता, ने बहुत दृढ़ता से उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण का बचाव किया एवं यह प्रस्तुत किया कि एफ आई आर में दर्ज आरोप तथा प्रतिवादी स0 1 की गवाही के संदर्भ में, उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओ को सम्मन करना उचित था, जो पर्याप्त रूप से दहेज नहीं लाने के लिए मृतक को प्रताड़ित करने में सक्रिय रूप से शामिल थे और जिसकी वजह से शादी के 7 महीने के भीतर रूकसीना की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यू हो गई।

C. विश्लेषण

11. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कथित जुर्म गंभीर एवं जघन्य है। कानून के लंबे हाथों को यह जरूर पता लगाना चाहिए कि क्या कोई व्यक्ति एक युवा लड़की को अपने अनमोल जीवन को समाप्त करने के लिए उकसाने का दोषी हैः या वह उसकी जिन्दगी छीनने का दोषी है,

जो अपनी शादी के तुरन्त बाद इस तरह के दुखद अंत का शिकार हो गईं। हालांकि, एक मात्र मुद्धा जिस पर हमें विचार करना है वह यह है कि क्या अपीलकर्ताओं के खिलाफ पर्याप्त सबूत है जिनकी बुनियाद पर उन्हें बतौर अतिरिक्त अभियुक्त के सम्मन किया जाना चाहिए।

12. सीआरपीसी की धारा 319 यह कहता हैः—

> ".....जहाँ किसी अपराध की किसी जांच या विचारण के दौरान, साक्ष्य से यह प्रकट होता हे कि कोई व्यक्ति अभियुक्त नहीं है मगर उसने अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पर अभियुक्त के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जा सकता है, न्यायालय ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही कर सकता है उस अपराध के लिए जो ऐसा प्रतीत होता है कि उसने किया है ...."

13. सीआरपीसी की धारा 319 की व्यापकता पर रौशनी डालते हुए, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने "हरदीप सिह बनाम पंजाब राज्य' में इस तरह रौशनी डाली है :—

"57. इस प्रकार , जांच के स्तर पर धारा 319 सीआरपीसी के प्रावधानों के उपयोग को इसके सही परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए। धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग केवल मुकदमे के दौरान अदालत के सामने पेश किए गए सबूतो के आधार पर किया जा सकता है । जहां तक जांच के दौरान इसके उपयोग का संबंध है, यह ऊपर बताए अनुसार सिमित रहता है, एक व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में जोड़ा जाता है, जिसका नाम चार्जशीट के कॉलम 2 में वर्णित है या कोई अन्य व्यक्ति जो सह अपराधी हो सकता है।"

Xx xx xxx

"105. धारा 319 सीआरपीसी में निहित शक्ति एक विवेकाधीन और असाधारण शक्ति है। इसे संयम से और केवल उन्हीं मामलों में प्रयोग किया जाना चाहिए जहाँ मामले की परिस्थितियां एसी हों। इसका प्रयोग महज इसलिए नहीं होना चाहिए कि मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश की यह राय है कि कोई अन्य व्यक्ति भी इस अपराध को करने का दोषी हो सकता है। एसी शक्ति का प्रयोग केवल वहीं किया जाना चाहिए जहाँ न्यायालय के समक्ष दिए गए साक्ष्य से किसी व्यक्ति के खिलाफ मजबूत एवं ठोस सबूत मिलते हैं, न कि आकस्मिक तौर पर एवं बहादुरी दिखाने के अन्दाज में।

106.इस प्रकार हम जानते हैं कि हालांकि केवल प्रथम दृष्टया मामले को अदालत के सामने पेश किए सबूतों से स्थापित किया जाना होता है, और जिरह के आधार पर टेस्ट किया जाना जरूरी नहीं होता, बल्कि इसके लिए उसकी मिलिभगत की संभावना से कहीं अधिक मजबूत सबूत की

आवश्यकता होती हैं जो परिक्षण लागू किया जाना होता है वह प्रथम दृष्टिया मामले से अधिक है जैसा कि आरोप तय करने के समय प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस हद तक असंतोष है कि यदि सबूत को चैलेंज नहीं किया जाता है तो वह दोष को सिद्ध कर देगा । इस तरह की संतुष्टि के अभाव में, अदालत को सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 319 में यह प्रावधान करने का उद्देश्य कि "सबूत से यह प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति जो अभियुक्त नहीं है मगर अपराध किया है" इन शब्दों से साफ है कि "जिसके लिए ऐसे व्यक्ति को अभियुक्त के साथ पेश (मुकदमा चलाना) किया जा सकता है"। इस्तेमाल किए गए शब्द " जिसके लिए ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है" नहीं है। लिहाजा अदालत के पास सीआरपीसी की धारा 319 के तहत आरोपी के दोष के बारे में कोई राय बनाने की गुंजाइश नहीं है।"

14. हाल हीं में इस न्यायालय ने "सुखपाल सि0 खैरा बनाम पंजाब राज्य' में सीआरपीसी की धारा 319 के तहत न्यायालय को जो शक्ति प्राप्त है, उसे बहुत साफ तौर पर बताते हुए यह आदेशित किया हैः–

> "15. शुरूआत में प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, यह पूरी तरह स्पष्ट है कि न्यायालय की प्रदान की गई शक्ति का अभिप्राय यह है कि किसी अपराध की जांच या परीक्षण के दौरान, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस तरह के साक्ष्य से ऐसा प्रकट हो रहा है कि वे अभियुक्त जिनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चल रहा है उनके अलावा भी कोई अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और ऐसा व्यक्ति अब तक चार्जशीट या मुकदमे की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है, तब भी उसे बतौर अतिरिक्त अभियुक्त सम्मन किया जा सकता है और अभियुक्त के साथ उसके खिलाफ भी मुकदमा चलाया जा सकता है– उस अपराध के लिए जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया गया प्रतीत होता है।"

15. हरदीप सिंह के केस में, यह साफ तौर माना गया है कि धारा 319 सीआरपीसी में वर्णित शब्द "सबूत" को व्यापक रूप में समझना चाहिए और जांच के दौरान कोर्ट के सामने आए हुए तथ्यों का इस्तेमाल निम्नलिखित के लिए किया जा सकता हैः–

(i) परिक्षण (ट्रायल) शुरू होने के बाद न्यायालय द्वारा दर्ज साक्ष्य की पुष्टिः–

(ii) सीआरपीसी 319 में निहित शक्ति के इस्तेमाल के लिए : एवं

(iii) उस अभियुक्त का नाम जोड़ने के लिए जिसका नाम चार्जशीट के कॉलम न0 2 में दर्शाया गया है।

यह भी मजीद साफ किया गया कि मुख्य परीक्षण में दिया गया ब्यान भी साक्ष्य का गठन करता है और ट्रायल शुरू होने के बाद, कोर्ट को सीआरपीसी में निहित शक्ति का इस्तेमाल करते वक्त प्रस्तावित व्यक्ति, जो कि सम्मन किया जाना है, जिसका क्रॉस–इग्जामिनेशन होना है, के खिलाफ सबूत के लिए इन्तजार नहीं करना चाहिए।

16. उपर्युक्त सुखपाल सि0 खैरा के केस में, संविधान पीठ ने दोबारा दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि सक्षम न्यायालय सीआरपीसी 319 का उपयोग करते समय निम्नलिखित दिशानिर्देश का पालन जरूर करें:–

(i) यदि सक्षम अदालत को साक्ष्य मिलते हैं या यदि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत आवेदन दायर किया जाता है, तो दोषमुक्ति या सजा पर आदेश पारित करने से पहले "परीक्षण में किसी भी स्तर पर दर्ज " साक्ष्य के आधार पर अपराध करने में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता के संबंध में कोर्ट उस स्तर पर मुकदमें को रोकेगा और धारा 319 सीआरपीसी के तहत दायर आवेदन पर फैसला करने के लिए आगे बढ़ेगा :

(ii) अगर कोर्ट अभियुक्त को 319 सीआरपीसी के तहत सम्मन करने का फैसला करता है, तो ऐसा सम्मन ऑडर मुख्य केस के ट्रायल में आगे बढ़ने से पहले पास किया जाएगा और उस स्तर को ध्यान में रखते हुए जिस स्तर में यह आदेश पारित किया गया है, ट्रायल कोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि क्या सम्मन किए गए अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दूसरे अभियुक्तों के साथ चलाया जाए या अलग सेः और

(iii) यदि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति को मुख्य परीक्षण में इसके निष्कर्ष तक लागू या प्रयोग नहीं किया जाता है और यदि कोई द्विभजित मामला है, तो ऐसी शक्ति को केवल तभी लागू किया जा सकता है जब उस संदर्भ में सबूत हो, जो अतिरिक्त अभियुक्त की संलिप्तता को इंगित करता हो जिसे द्विभाजित ट्रायल में सम्मन किया जाना है।

17. इस प्रकार उद्धत निर्णयों के संयुक्त पठन से यह प्रकट होता है कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत सम्मन करने की शक्ति का प्रयोग नियमित रूप से नहीं करना चाहिए और एक प्रथम दृष्टया मामले से अधिक का होना अतिरिक्त अभियुक्त को सम्मन करने के लिए अनिवार्य है। यह जोड़ना जल्दबाजी हो सकते हैं कि धारा 319 सीआरपीसी के तहत अतिरिक्त अभियुक्तों को सम्मन करने

के लिए शक्ति के लगातार दुरूपयोग को रोकने के लिए और ऊपर उल्लिखित बाध्यकारी न्यायिक आदेशों के अनुरूप, प्रक्रियात्मक सुरक्षा यह हो सकती है कि आम तौर पर ट्रायल की शुरूआत में हीं किसी व्यक्ति को सम्मन किये जाने को डिस्करेज करना चाहिए। और ट्रायल कोर्ट को बुलाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ साक्ष्य का मुल्यांकन करना चाहिए और फिर यह तय करना चाहिए कि क्या ऐसी सामाग्री, कम या ज्यादा का वही महत्व और मुल्य है जो पहले से ही मुकदमा का सामना कर लोगों के खिलाफ प्रमाणित किया गया है। किसी भी विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में, 319 सीआरपीसी में निहित शक्ति को इनवोक नहीं करना चाहिए।

18. मौजूदा केस की तरफ लौटते हैं , अपीलकर्ताओं के खिलाफ जो इलजाम लगाए गए है। वे यह हैं कि उन्होंने भी कथित क्राईम के सरजद होने में मुख्य रोल अदा किए हैं।

19. रिकार्ड से पता चलता है कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा धारा 319 सीआरपीसी के आवेदन को बरखास्त करने क बाद 6.12.2018 को उत्तरवादी सं0 1 को मजीद मुख्य पूछताछ के लिए बतौर पीडब्लू–1 के रूप में बुलाया गया । उसके ब्यान से स्पष्ट पता चलता है कि शादी के समय अपीलकर्ता न01 – जूहरू (ससुर) ने उत्तरवादी सं0 1 को शादी में 20 लाख रूपये खर्च करने के लिए कहा था, जिसके लिए उत्तरवादी स0 1 राजी हो गया था। अपीलकर्ता स0 1 उसकी पत्नी अखलिमा (सास) अपने बेटे आमिर (पति) के साथ एक ही छत के नीचे रह रहे थे, एवं वह उत्पीड़न या अधिक दहेज की माँग की सभी घटनाओं से वाकिफ़ रहा होगा। इस दृष्टि से देखने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम उत्तरवादी को अपनी पत्नी एवं बेटे के साथ हाँ में हाँ मिलाना पड़ा होगा या वह कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं रहा होगा। अपीलकर्ता सं0 1 को सम्मन करने की सीमा तक हाइकोर्ट का आदेश घारा 319 सीआरपीसी की निहित सामग्री के अनुकुल है, और इस न्यायालय द्वारा इसमें किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

20. जहां तक अपीलकर्ता स0 2 एवं 3 सोनम (मृतक की नन्द) एवं रिजवान (मृतक का नन्दोसी) का ताल्लुक है, ऐसा प्रतीत होता है कि उन दोनों का नाम एफआईआर में होने के बावजूद तथा मुख्य पुछताछ में उत्तरवादी स0 1 द्वारा उनका ज़िक्र करने के बावजूद, ऐसा कोई भी पुखता सबूत नहीं है जिससे यह लगे कि रूकसीना की अप्राकृतिक मृत्यू से उनका कोई लेना देना है। ऐसा कोई पुखता साक्ष्य भी नही है जिससे यह साबित हो सके कि शादि के बाद भी अपीलकर्ता न0 2 (अपीकर्ता स0 3 से शादी के बाद) अपने माँ –बा पके घर रह रही थी या वे मृतक एवं आमिर की शादी –शुदा जिन्दगी में रोजाना दखल अन्दाजी कर रहे थे । कोई पुखता सबूत न होने के कारण जिससे कि यह साबित हो सके उनका इस क्राइम से बहुत नज़दीकी तौर पर लेना देना है,

अपीलकर्ता स0 2 एवं 3 को केस का सामना करने के लिए बतौर अतिरिक्त अभियुक्त सम्मन करना अनुचित होगा।

D. निष्कर्षः

21. उपर्युक्त विचार के संदर्भ में हमारा यह मत है कि अपीलकर्ता स0 1 को सम्मन करना तो जायज है, लेकिन केवल मजबूत संदेह के आधार पर , अपीलकर्ता सं0 2 एवं 3 पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता । इस प्रकार , अपीलकर्ता ए0 2 एवं 3 के संबंध में हाईकोर्ट के आदेश , जिसे चुनौती दी गई है, को खारिज किया जाता है।

22. यह मानलेने के बाद की अपीलकर्ता स0 1 को जायज़ तौर पर सम्मन किया गया है और अपने बेटे तथा पत्नी के साथ उसके खिलाफ भी मुकदमा चलाया जाना है, दूसरा प्रश्न जिस पर विचार किया जाना जरूरी है वह यह है कि अब यहाँ से मुकदमे की प्रक्रिया किस प्रकार से आगे बढ़ेगी।

23. रिकॉर्ड पर मौजूद सूचना के अनुसार, मुकदमा अभी डिफेंस एविडेंस के स्टेज पर है। अपीलकर्ता स0 1 के खिलाफ मुकदमा शुरू करने से पहले, ट्रायल कोर्ट को जो दिशा–निर्देश अवश्य रूप से पालन करना चाहिए वह सुखपाल सि0 खैरा के केस में, संविधान पीठ ने निम्न प्रकार से सफसील में ब्यान कर दिया हैः–

"41(III) 319 सीआरपीसी में निहित शक्तियों का उपयोग करने के लिए क्या दिशा–निर्देश हैं, जिसका पालन सक्षम न्यायालय को करना चाहिए ?

41.1 यदि सक्षम अदालत को साक्ष्य मिलते हैं, या अपराध करने में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता के संबंध में सीआरपीसी 319 के तहत आवेदन दायर किया जाता है तथा जो दोषमुक्ति या सजा पर आदेश पारित करने से पहले मुकदमें के किसी भी स्टेज पर रिकॉर्ड किए गए साक्ष्य पर आधारित है, तो न्यायालय उसी स्टेज पर मुकदमें को रोक देगा।

41.2 न्यायालय उसके बाद पहले यह फैसला लेगा कि क्या अतिरिक्त अभियुक्त को सम्मन करने की जरूरत है या नहीं।

41.3 अगर न्यायालय का फैसला यह है कि यह सीआरपीसी 319 में निहित शक्ति का इस्तेमाल करेगा तथा अभियुक्त को सम्मन करेगा, तो ऐसा सम्मन आदेश, मुख्य केस की कार्यवाही को आगे बढ़ाने से पहले पारित किया जाएगा।

41.4 अगर अतिरिक्त अभियुक्तों का सम्मन आदेश पारित कर दिया गया है, तो उस स्टेज के आधार पर जिस पर यह आदेश पारित किया गया है, अदालत इस तथ्य पर भी विचार करेगा कि ऐसे सम्मन किये गए अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा अन्य अभियुक्तों के साथ चलाया जाए या अलग से ।

41.5 अगर फैसला यह है कि ज्वाईंट ट्रायल होगा, तो आगे की मुकदमें की कार्यवाही सम्मन किए गए अभियुक्त की मौजूदगी को सुनिश्चित करने के बाद ही शुरू होंगी।

41.6 अगर फैसला यह है कि सम्न किए अभियुक्त पर अलग से मुकदमा चलाया जाएगा, तब न्यायालय के लिए पहले के अभियुक्तों के खिलाफ पहले से चल रहे मुकदमें को जारी रखने एवं मुकम्मल करने की आजादी है। ”

24. अतः ट्रायल कोर्ट को उपर्युक्त डिक्टम को फॉलो करते हुए, कानून के अनुसार अपीलकर्ता स0 1 के खिलाफ आगे की कार्यवाही करेगा।

25. उपर्युक्त कारणों से, लेकिन मेरिट पर कोई विचार व्यक्त किए बिना हम आंशिक रूप से इस अपील को मंजूर करते हैं तथा उच्च न्यायालय के दिनांक 27.01.2020 के चुनौति दिए गए आदेश को उपरोक्त शर्तों में संशोधित करते हैं।

26. लंबित आवेदन, यदि कोई है, का निस्तारण किया जाता है।

.....जज
(सुर्यकांत)
.....जज
(जे.के.महेशवरी)

नई दिल्ली :
दिनांक 21.02.2023

Disclaimer:The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other pupose . For all practical and official purposes, English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

Translated by Mr. Syed Kashif, Translator and typed by Mr. Neeraj Kumar Mishra.Senior Assistant.